न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :178/2017

अनवान :

1. राजेन्द्र पुत्र हजारी जाति जाट निवासी घुड़साल तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

– वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र हजारी जाति जाट निवासी घुड़साल जिला हिसार।
2. रोहताष पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी घुड़साल तहसील आदमपुर जिला हिसार।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ : वादीगण

वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 20-2-19**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 जेएसएल के मु.न. 23 के किला नं. 7 ता 14, 17 ता 24 मु.न. 24 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 24, 25 मु.न. 30 के किला नं. 1 ता 4, 7 कुल किता 27 की 6.831 हैक्टर बारानी में 60 हिस्सा व चक 5 जेएसएल के ही मु.न. 94 के किला नं. 19 ता 23 मु.न. 95 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 20 की 2.188 हैक्टर बारानी में 1/3 हिस्सा वादी के पिता हजारीराम पुत्र हेमराज के नाम से खातेदारी दर्ज हैं प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ उनका पिता हजारी रहता था तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 उसकी सेवा चाकरी करते थे जिससे खुश होकर वादी के पिता हजारी पुत्र हेमराज निवासी घुड़साल जिला हिसार ने भारतवर्ष में अपनी समस्त चल अचल सम्पति के संबंध में दिनांक 10.01.2012 को उपपंजीयक बालसमन्द जिला हिसार के समक्ष बरोबरू गवाहान रामकुमार पुत्र मामराज व प्यारेलाल के सामने एक वसीयत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार निष्पादित करवा दी थी। वादी के पिता हजारी वल्द हेमराज का दिनांक 01.04.2012 को देहान्त हो गया। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न वाद है।

वादी के पिता का देहान्त दिनांक 01.04.2012 को गांव घुड़साल मे हो गया इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण को मुताबिक वसीयत वादभूमि प्राप्त हो गई। चुंकि वादी के पिता का देहान्त हो गया इसलिये मुताबिक Testammentary succession वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई है। परन्तु वादभूमि आज भी वादी के मृतक पिता हजारीराम के नाम से ही दर्ज चली आ रही है जिसके चलते वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वादी के पिता हजारीराम वल्द हेमराज के नाम से चक 5 जेएसएल के मु.न. 23 के किला नं. 7 ता 14, 17 ता 24 मु.न. 24 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 24, 25

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मु.न. 30 के किला नं. 1 ता 4, 7 कुल किता 27 की 6.831 हैक्टर बारानी में 60 हिस्सा व चक 5 जेएसएल के ही मु.न. 94 के किला नं. 19 ता 23 मु.न. 95 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 20 की 2.188 हैक्टर बारानी में 1/3 हिस्सा खातेदारी का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर अर्थात वादी 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। बाद किये जाने घोषणा जमाबंदी हाल मे से हजारीराम वल्द हेमराज का नाम कलमजन कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र में राजस्थान सरकार भी पक्षकार प्रतिवादी है, जिनके समक्ष भी उक्त खातेदारी के संबंध में आवेदन पत्र पेश किया था परन्तु उन्होने न्यायालय में चाराजोई करने का कहा जिस पर वादी न्यायालय हाजा में दावा पेश कर रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने तथा मुताबिक वसीयत रिकार्ड में अमल दरामद करने का कहा तो उन्होने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना अपना ईकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया व प्रतिवादी सं. 3 स्टेट ने अपना जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद एवं स्टेट जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी के पिता द्वारा एक वसीयत दिनांक 10.01.2012 को वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में बरोबरू गवाहान सब रजिस्ट्रार बालसंमद के समक्ष पंजीयन करवायी, उसके आधार पर खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने का अधिकारी है ?

– **वादीगण**

2. अनुतोष ?

तनकीयात कायम करने के बाद पत्रावली में साक्ष्यवादी में वादी पीडब्ल्यु 1 राजेन्द्र पुत्र हजारी जाति जाट निवासी घुड़साल तहसील आदमपुरा जिला हिसार के बयान करवाए गए दस्तावेजी साक्ष्य में वसीयम प्रमाण पत्र की प्रति हजारी पुत्र हेमराज दिनांक 10.01.2012, प्रदर्श 1, नक्शा नजरी चक 5 जेएसएल प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 याता संख्या 209/199 प्रदर्श 3, नजरी नक्शा चक 5 जेएसएल प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 खाता संख्या 327/308 प्रदर्श 5, मृत्य प्रमाण पत्र हजारी पुत्र हेमराज प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये तथा पी.डब्ल्यू 2 रामकुमार पुत्र मामराज निवासी घुड़साल, पी.डब्ल्यू 3 राकेश कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी घुड़साल तहसील आदमपुरा जिला हिसार के साक्ष्य करवाये गये। वकील प्रतिवादी साक्ष्य पेश नही करने का निवेदन किया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक वसीयत डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन् एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने मुताबिक वसीयत चक 5 जेएसएल के मु.न. 23 के किला नं. 7 ता 14, 17 ता 24 मु.न. 24 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 24, 25 मु.न. 30 के किला नं. 1 ता 4, 7 कुल किता 27 की 6.831 हैक्टर बारानी में 60 हिस्सा व चक 5 जेएसएल के ही मु.न. 94 के किला नं. 19 ता 23 मु.न. 95 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 20 की 2.188 हैक्टर बारानी में 1/3 हिस्सा खातेदारी का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर अर्थात वादी 1/9

उपखण्डधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

चुंकि वादी के द्वारा प्रदर्श 1 वसीयत दिनांक 10.01.2012 में हजारी पुत्र हेमराज ने वसीयत में लिखा है कि "**मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है मेरे वारिसों में दो लड़किया जिनके नाम कृष्णा व इन्द्रा देवी है जिनमें दुर्भाग्य से मेरी लड़की इन्द्रा देवी फौत हो चुकी है तथा मेरी लड़की शादीशुदा है अपनी अपन ससुराल में रहती है।**" वादी ने इस तथ्य का अपने वादपत्र में उल्लेख नहीं किया, न ही इस तथ्य को साबित किया है कि उक्त वाद भूमि वादी के पिता की स्वअर्जित सम्पति है या दादालाई सम्पति है। किसी भी व्यक्ति को पैत्रक/दादालाई सम्पति की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं होता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में वादी ने तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है एवं वसीयत दिनांक 10.01.2012 में हजारी पुत्र हेमराज के अनुसार वादी ने अपनी दोनो बहिन एवं एक बहिन इन्द्रा देवी के वारिसान को दावा में आवश्यक पक्षकार नही बनाया है, जिससे यह साबित होता है कि वादी साफ हाथों से दावा लेकर नही आया है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार दादालाई सम्पति में सभी वारिसान का हक हिस्सा बनता है, इसलिये वादी तथ्य को छुपाकर अपने हकों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :178/2017

अनवान :

1. राजेन्द्र पुत्र हजारी जाति जाट निवासी घुड़साल तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

– वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र हजारी जाति जाट निवासी घुड़साल जिला हिसार।
2. रोहताष पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी घुड़साल तहसील आदमपुर जिला हिसार।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री विरेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़